(2011) 1 एस. सी. आर. 838

केशव प्रसाद शर्मा

विरुद्ध

भारतीय तेल निगम और अन्य

(एस. एल. पी. - सी. आर. एल.) 2009 का 1646-1647

25 जनवरी 2011

(मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे जे.)

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 136 - धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रत्यर्थी सं. 3 से 9 को याची के साथ अन्वीक्षा में सह-अभियुक्त बनाने का आवेदन। - अन्वीक्षा न्यायालय ने आवेदन स्वीकार किया -- उच्च न्यायालय ने अन्वीक्षा न्यायालय का आदेष अपास्त किया। विशेष अनुमति याचिका में याची का तर्क है कि धारा 319 में अन्वीक्षा के दौरान पूर्वाग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह स्वविवेक का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 136 एक नियमित अपील का तरीका नहीं है। यह एक अवशिष्ट प्रावधान है जो उच्चतम न्यायालय को किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के आदेष को अपने स्वविवेक से विषेष मामलों में प्रयोग करने की अनुमति देता है।

परिस्थितियाँ - यह अपील का नियमित फोरम नहीं है जैसे कि धारा 100 अथवा धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता में होता है। वर्तमान मामले में प्रष्नगत निर्णय जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, उससे याची को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर याची के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की। याची के यह आरोप लगाने मात्र से कि प्रत्यर्थी सं. 3 से 9 भी इसी अपराध के दोषी हैं, इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय में दखल करने के लिए यह तर्क काफी नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 136 के तहत याची को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है - अन्वीक्षा न्यायालय को निर्देष दिया जाता है कि वह अन्वीक्षा को उच्च न्यायालय की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना पूर्ण करे। विषेष अनुमति याचिका खारिज की गई।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 319 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 96, 100।

भोलू राम बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2008) 9 एस.सी.सी. 140,

सुमन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2009) 13 स्केल 716

केस लॉ संदर्भित

(2006) 10 एस. सी. सी. 192, संदर्भित किया गया पैरा 4 बी

(2008) 9 एससीसी 140, उल्लेख किया गया है पैरा 4

(2009) 13 स्केल 716, के लिए संदर्भित पैरा 4

आपराधिक अपीलय क्षेत्राधिकारः

एसएलपी; सी. आर. एल. नं. 1646 - 1647/2009

(पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.12.2008 के विरुद्ध अपराधिक विविध याचिका 52791 एम 2007 तथा अपराधिक पुनरीक्षण 71 / 2008)

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अमित भंडारी, अजय वीर सिंह, नितिन जैन, मुहम्मद इरषाद हनीफ याची की ओर से।

डॉ. राजीव धवन, आर. एस. चीमा, के. वी. विश्वनाथन, कमल मोहन गुप्ता, कवालजीत कोचर, अशोक के. शर्मा, ई. कुसुम चौधरी, डी. पी. सिंह, तरन्नुम चीमा, संजय जैन, अनुज प्रकाष, अभिषेक कौषिक तथा समीर अली खान प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया -

आदेश

उपस्थित पक्षों के लिए वकील को सुना। इनके खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं।

उक्त विशेष अनुमति याचिकाएं निर्णय दिनांक 19.12.2008 के विरुद्ध दायर की गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि याची के अन्वीक्षा के दौरान सरकारी वकील प्रत्यर्थी सं. 3 से 9 को अभियुक्त बनाने का आवेदन 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे अन्वीक्षा न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है परन्तु उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया।

हमने उच्च न्यायालय के प्रष्नगत आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ा। प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं की है जो किसी भी तरह याची को प्रभावित करती है। याची के विद्वान अभिभाषक ने निम्न न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाया -

लोक राम बनाम निहाल सिंह और अन्य, (2006) 10 एस. सी. सी. 192,

भोलू राम बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2008) 9 एस. सी. सी. 140 और

सुमन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2009) 13 स्केल 716

इन निर्णयों के आधार पर याचीे के अभिभाषक का तर्क है कि पूर्वाग्रह का प्रश्न धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही में

संबंधित नहीं है। हम इस राय के हैं कि उच्च न्यायालय की राय अन्वीक्षा न्यायालय को प्रभावित नहीं करती। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पूर्वाग्रह का प्रश्न स्वविवेक के क्षेत्राधिकार का है।

अनुच्छेद 136 अपील का एक नियमित प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसा प्रावधान है जो उच्चतम न्यायालय को किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के आदेश को विशेष परिस्थितियों में अपने स्वविवेक से दखल करने के अनुमति देता है जैसे धारा 100 और 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता, अतः संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पूर्वाग्रह का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।

वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का आदेश याची के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर याची के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ इस आधार पर कि याची के कथनानुसार प्रत्यर्थी सं. 3 से 9 भी उसी अपराध के दोषी हैं, हम उच्च न्यायालय के निर्णय में अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए मामले को उचित नहीं मानते।

जब याची को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ।

राज्य द्वारा हमारे समक्ष कोई विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत नही की गई, स्थिति भिन्न होती यदि ऐसी कोई याचिका राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाती।

हम निर्देश देते हैं कि अन्वीक्षा न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले की अन्वीक्षा तीव्र गति से व जहाँ तक हो सके 6 माह के भीतर करें, जब उन्हें इस आदेश की प्रति प्राप्त हो।

उक्त टिप्पणी के साथ विषेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

उक्त विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।